Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh, under clause (3) of the said article.

(ii) Order [G.S.R. No. 686(E)], dated the 18th October, 1995, made by the president under sub-clause (i) of clause (c) of the above proclamation. [Placed in Library, *See* No. LT 8154/95]

(iii) Report of the Governor of Uttar Pradesh, dated the 17th October, 1995, to the President recommending the issue of the Proclamation.
[Placed in Library, *See* No. LT 8155/95]

[The Deputy Chairman in the Chair]

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Madam, it is his maiden laying.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Maiden laying?

AN HON. MEMBER: He has been cheated because he has not been alloted a seat there...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Ministers should sit in the front seats...*(Interruptions)*... He has not been allotted a seat.
आपकी कौन सी सीट है?

SYED SIBTEY RAZI: The same seat.

12.00 NOON.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President

SECRETARY-GENERAL: Madam, I lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Bills passed by the Houses of Parliament during the Hundred and seventy-fourth Session of the Rajay Sabha and assented to by the President. [Placed in Libary. *See* No. LT 8188/95]

Ordinances Promulgated by the President

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; (SHRIMATI MARGARET ALVA) : Madam I lay on the Table, under sub-clause (a) of clause (2) of article 123 of the constitution, a copy each (in English and Hindi) of the following Ordinances:—

(1) The Depositories Ordinance, 1995 (No. 11 of 1995), promulgated by the President on the 20 september, 1995. [Placed in Library. *See* No. LT 8172/95]

(2) The Industrial disputes (Amendment) Ordinance, 1995 (No. 12 of 1995), promulgated by the president on the 11th October, 1995.
[Placed in Library. *See* No. LT 8173/95]

(3) The Employees' Provident Funds and Miscellanceous Provisions (Amendment) Ordinance, 1995 (No. 13 of 1995), promulgated by the president on the 17th October, 1995. [Placed in Library. *See* No. LT 8174/95]

(4) The Building and other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Ordiance, 1995 (No. 14 of 1995), promulgated by the president on the 3rd November, 1995.
[Placed in Library. *See* No. LT 8175/95]

(5) The Building and other Construction Workers' Welfare Cess Ordinance. 1995 (No. 15 of 1995), promulgated by the President on the 3rd November, 1995. [Placed in Library. *See* No. LT 8176/95]

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Madam, I am on a point of order.

उपसभापतिः क्या लेट हो गया? डिले हो गया है?

श्री मोहम्मद सलीमः It is late, it is all right. I have no objection on that. Please see Serial No. 4: The Building and other construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Ordiance, 1995. आज ही के दिन में मिस्टर वेंकट स्वामी के साथ लेजिस्लेटिव बिजिनेस में है कि वह बिल वे विदड्रा करना चाहते हैं, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1981 सेम परपज है। लेकिन 1988 से हर साल हम लोग यह

मांग करते आए थे कि एक कम्प्रीहैंसिव बिल ले आना चाहिए था। बिल्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आया जानती है मोस्ट नेगलेक्टेड सेक्शन है हमारी वर्क फोर्स में आल राइट। अब यह आर्डिनेंस ले आये हैं। यह पुराना बिल विदड्रा कर रहे हैं। इट इज आलराइट। आई एम जस्ट आस्किंग यू—हम उस वक्त कुछ बातें कहेंगे, इस वक्त मैं नहीं कहना चाहता हूं या तो विदड्राल के समय देना पड़ेगा—बिकाज यह आर्डिनेंस है जो सरकार इतने दिन से प्रामिस करती थी, जब भी हम लोग उठाते थे तो कहती थी कि एक कम्प्रीहैंसिव बिल ले आएंगे, पिटीशन कमेटी की राय थी, कृष्णा अय्यर जी का संजेशन था—लेकिन इन सबको इग्नोर करके यह लाया गया है। अभी भी यह आर्डिनेंस एडीक्वेट नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे एडीक्वेट बिल ले आएंगे टू रिप्लेस दिस आर्डिनेंस क्योंकि वे विदड्राल भी दे रहे हैं पुराने का, या फिर यही आर्डिनेंस जो इनएडीक्वेट है उसी को रखेंगे।

†श्री मुहम्मद सलीम: ... आज ही के दिन में सर्टेन मैटर्स सम्बन्धी के साथ लेजिस्लेटिव बिजनेस में है—कि वह बिल को विदड्रा करना चाहते हैं—वेट एण्ड वाच इन्ट्रोड्यूस किया था 1988—सेम प्रोविजन है—लेकिन 1988 से हर साल हम लोग यह मांग करते आए हैं कि एक कम्प्रीहैंसिव बिल ले आना चाहिए था—बिल्डिंग (एण्ड कंस्ट्रक्शन बिल आप जानती हैं—मोस्ट नेगलेक्टेड सेक्शन है हमारी वर्क फोर्स में—आल राइट अब यह आर्डिनेंस ले आये हैं—वह पुराना बिल विदड्रा कर रहे हैं—इट इज आलराइट—आई एम जस्ट आस्किंग यू—हम उस वक्त कुछ बातें कहेंगे—इस वक्त मैं नहीं कहना चाहता हूं या तो विदड्राल के समय देना पड़ेगा—बिकाज यह आर्डिनेंस है जो सरकार इतने दिन से प्रामिस करती थी, जब भी हम लोग उठाते थे तो कहती थी कि एक कम्प्रीहैंसिव बिल ले आएंगे, पिटीशन कमेटी की राय थी, कृष्णा अय्यर जी का संजेशन था—लेकिन इन सबको इग्नोर करके यह लाया गया है—अभी भी यह आर्डिनेंस एडीक्वेट नहीं है—मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे एडीक्वेट बिल ले आएंगे टू रिप्लेस दिस आर्डिनेंस क्योंकि वे विदड्राल भी दे रहे हैं पुराने का, या फिर यही आर्डिनेंस जो इनएडीक्वेट है उसी को रखेंगे।

†[اشری محمد سلیم: ... آج ہی کے دن میں سرٹین میٹر سوامی کے ساتھ لیجسلیٹو بزنس میں ہے—کہ وہ بل کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں—ویٹ واچ انٹروڈیوسڈ ان 1988—سیم پرویژن ہے—لیکن 1988 سے ہر سال ہم لوگ یہ مانگ کرتے آئے ہیں کہ ایک کمپری ہینسیو بل لے آنا چاہیئے تھا—بلڈنگ (اینڈ کنسٹرکشن بل آپ جانتی ہیں—موسٹ نیگلیکٹیڈ سیکشن ہے ہماری ورکس فورس میں—آل رائٹ اب یہ آرڈیننس لے آئے ہیں—وہ پرانا بل وڈڈرا کر رہے ہیں—اٹ از آل رائٹ—آئی ایم جسٹ آسکنگ یو—ہم اس وقت کچھ باتیں کہینگے—اس وقت میں کہنا نہیں چاہتا ہوں—یا وڈڈراں کے سمے دینا پڑیگا—پکا زیہ آرڈیننس جو ہے جو سرکار اتنے دن سے پرامس کرتی تھی جب بھی ہم لوگ اٹھاتے تھے تو کہتی تھی—کہ ایک کمپری ہینسیو بل لے آئینگے—پیٹیشن کمیٹی کی رائے تھی کرشنا ایر جی کا سجیشن تھا—لیکن ان سب کو اگنور کرکے یہ لایا گیا—ابھی بھی یہ آرڈیننس آڈیکویٹ نہیں ہے—میں منتری مہودے سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اڈیکویٹ بل لے آئینگے—اور پلیس دس آرڈیننس کیونکہ وہ وڈڈراں بھی دے رہے ہیں پرانے کا—یا پھر یہی آرڈیننس جو ان ایڈی کویٹ ہے اس کو رکھینگے—]

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, the Labour Minister is here. You can ask him to clarify.

श्रम मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): उपसभापति जी, आनरेबल मैम्बर का जो सवाल है कि हम 1988 में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था हम उसके बारे में जस्टिस कृष्णा अय्यर के एतराज पर उनका प्रोपोज़ल जो है, लेने के लिए पटीशन कमेटी के सामने आया था उसी वजह से यह रुका हुआ है और इसको कब तक रोक कर रखोगे यह अनआर्गेनाइज्ड सफर हो रहा है कंट्री के अंदर और लेबर मिनिस्टर होने के बाद मैंने महसूस किया कि इसको पैंडिंग रखने से फायदा नहीं है आर्डिनेंस के जरिए से इसको लाना चाहिए और जो जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी के मैम्बरों ने यह देख चुका है और बहुत हद तक उन्होंने कहा कि हमारे प्वायंट्स आपने कवर किया है और हम सैटिस्फाइड हैं।

SHRI MD. SALIM: I appreciate the Minister's concern. But कब तक रोके रखेंगे, जस्टिस तो मिलना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और आपने बिल को ले आए, लेकिन मेरा यह कहना

†[] Transliteration in Arabic script.

था कि जस्टिस कृष्णा अय्यर के जो सजैशंस या रेकमेंडेशंस थीं और पटीशन कमेटी की जो रेकमेंडेशंस थीं वे आपने पूरी तरीके से इनकार्पोरेट नहीं किया और आप खुद कहे कि बहुत हद तक, यह हद का सवाल है वैन यू से जो अन-आर्गेनाइज्ड हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन आपने इस आर्डिनेंस में रखे हैं 50 वर्कर्स जिस कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं बिल्डिंग वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में और मेनली यह तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जी भी नहीं बोले, कृष्ण सेठी भी नहीं बोले। यह मैंने एक ही एग्ज़ैंपल दिया, ऐसे बहुत से हैं।

+सैयद मोहम्मद सलीम: ... कब तक रोके रखेंगे। जस्टिस तो मिलना चाहिये। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और आपने बिल को ले आये। लेकिन मेरा कहना था कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जो सजेशंस या रेकमेंडेशंस थीं, वह आपने पूरे तरीके से इनकार्पोरेट नहीं किया और आप खुद कहे कि बहुत हद तक यह हद का सवाल है। "वैन यू से" जो अन-आर्गनाइज्ड हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिये लेकिन आपने इस आर्डिनेंस में रखे हैं 50 वर्कर्स जिस कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं बिल्डिंग वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में और मेनली यह तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जी भी नहीं बोले, कृष्ण सेठी भी नहीं बोले। यह मैंने एक ही एग्ज़ैंपल दिया, ऐसे बहुत से हैं।+

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Salim, you made your objections very clear before this august body and the Minister concerned, to the best of his ability, tried to answer you. Now, this Ordinance will come up for discussion. At the time of withdrawal of the Bill, if you so wish, I will give you permission to raise your objections, or to make your suggestions, whatever you may have.

MOU between the Government of India and Power Grid Corporation of India

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): Madam, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Power) and Power Grid Corporation of India Limited, for the year 1995-96

[Placed in Library, *See* No. LT-8179 / 95]

I. **Report and Accounts (1994-95) of the Small Industries Development Bank of India, Lucknow and related papers.**

II. **Report and Accounts (1994-95) of the Export-Import Bank of India, Bombay and related papers.**

III. **Notification of the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs)**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): Madam, I beg to lay on the Table

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers under-sub-section (5) of section 30 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989:—

(i) Annual Report and Accounts of the Small Industries Development Bank of India, Lucknow, for the year 1994-95, together with the Auditors' report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the above Bank.

[Placed in Library, *See* No. LT-8291 / 95]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers under-sub-section (5) of section 19 and sub-